

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

आदेश

तहसीलद्वारा की रिपोर्ट के आधार पर सुर्ही का छोड़ना जारी
किया जा कर पत्रावली फेसल सुमान^{का} दारिखत दफ्तार है।

8/14/22
उपखण्ड अधिकारी
मदी, जिला बंसवाड़ा

